कागज़ बचाएं!!! वृक्ष बचाएं!!! पर्यावरण बचाएं!!!

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी (PIO)
वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग (Ministry of Finance And Department of Expenditure)
उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001

विषय: आप के अंतर्गत/अधीन/ समकक्ष कार्यरत या संभंधित दिव्यांग (Divyangjan) सरकारी कर्मचारियों - नर्सिंग कैडर/अन्य कार्मिकों/ अधिकारियों के लिए लागू सेवा शर्तें/ सेवा नियम, कर्मचारियों के पदोन्नति नीति, विशेष भत्ते ,लाभ एवं कार्यस्थल सुविधाएं एवं शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित नियमों / विनियम/ सरकारी आदेश/दस्तावेज की जानकारी प्राप्त करने हेतु आरटीआई आवेदन।

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है कि मैं, अधोहस्ताक्षरी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ, जो विशेष रूप से आप के अंतर्गत/अधीन/ समकक्ष कार्यरत या संभंधित दिव्यांग (Divyangjan) सरकारी कर्मचारियों- नर्सिंग कैडर/अन्य कार्मिकों/ अधिकारियों के संदर्भ में संबंधित सेवा शर्तों, अधिकारों एवं सुविधाओं पर केंद्रित है। कृपया प्रत्येक बिंदु पर पृथक रूप से स्पष्ट व प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने की कृपा करें(मैं पूर्ण विवरण और संबंधित सरकारी आदेश की प्रमाणित प्रति चाहता हूं.(ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करने की कृपा करे).

कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करें:-

1. **आप के अंतर्गत/अधीन/ समकक्ष कार्यरत या संभंधित दिव्यांग (Divyangjan) सरकारी कर्मचारियों - नर्सिंग कैडर/अन्य कार्मिकों/ अधिकारियों हेतु सेवा नियमावली (Service Rules/Regulations):**-केंद्र एवं **वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग (Ministry of Finance And Department of Expenditure)**दिल्ली के द्वारा जारी की गई सभी अधिसूचनाओं, शासनादेशों (GOs), सर्कुलर आदि की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं, जो दिव्यांग कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, रिटायरमेंट नीति इत्यादि को स्पष्ट करती हैं।

2. **आप के अंतर्गत/अधीन/ समकक्ष कार्यरत या संभंधित कार्यरत दिव्यांग (Divyangjan) सरकारी कर्मचारियों - नर्सिंग कैडर/अन्य कार्मिकों/ अधिकारियों हेतु को प्रदत्त विशेष सुविधाएं एवं भत्ते:**-कार्यरत दिव्यांग **(Divyangjan) सरकारी कर्मचारियों/Nursing Cadre/ अधिकारियों** को मिलने वाले एवं प्रदान किए जाने वाले सभी प्रकार के **विशेष भत्तों (Special Allowances)**, **छूटों (Exemptions)**, **विशेष अवकाश (Leave Benefits)**, **पदोन्नति में आरक्षण**, **स्थानांतरण नीति (Transfer Policy)** एवं अन्य सेवा-सुविधाओं (Other Benefits) की विस्तृत सूची तथा लागू शासनादेश (GO/Notifications) प्रदान किए जाएं।

3. **शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी रियायतें:**-दिव्यांग **(Divyangjan) सरकारी** कर्मियों को किन-किन विभागों में विशेष प्रशिक्षण, पदोन्नति के लिए अतिरिक्त अवसर, एवं परीक्षा/इंटरव्यू में विशेष सहायता (स्क्राइब, अतिरिक्त समय) जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, कृपया विस्तृत जानकारी दें।

4. **कार्यालय परिसर में दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं (Accessibility):**-विभागीय भवनों में दिव्यांगजनों हेतु लिफ्ट, रैंप, शौचालय, कार्यस्थल पर बैठने की विशेष व्यवस्था इत्यादि की उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट करें।

5. **केंद्र एवं वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग (Ministry of Finance And Department of Expenditure),दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीतियां/दिशा-निर्देश:**-दिव्यांग **(Divyangjan) सरकारी** कर्मचारियों के कल्याण हेतु जारी सभी नवीनतम सरकारी दिशा-निर्देश, विशेष प्रावधानों, और नीतियों की सूची एवं प्रति मांगी जाती है।

6. **शिकायत निवारण तंत्र:**-यदि किसी कार्यालय/विभाग में उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो रहा हो, तो दिव्यांग कर्मचारी अपनी शिकायत कहाँ और किस अधिकारी/प्राधिकरण के समक्ष दर्ज कर सकता है? कृपया संपर्क विवरण सहित स्पष्ट करें।

7. **वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग (Ministry of Finance And Department of Expenditure),दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत दिव्यांग(Divyangjan) सरकारी कर्मचारियों - नर्सिंग कैडर/अन्य कार्मिकों/ अधिकारियों की संख्या (पिछले 5 वर्षों की स्थिति)**:-कृपया यह जानकारी दें कि आपके संस्थान कितने दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी नियुक्ति किस श्रेणी में हुई है (A, B, C, D) किस कैडर में हुई है बिंदुवार/ सुविचार और विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज के साथ तथा उन्हें किन-किन लाभों का लाभ मिला है / मिल रहा है इस संबंध में वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराए?

मैं आपसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। यदि किसी कारणवश किसी सूचना को प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो कृपया उचित कारण बताएं। इस मामले पर आपका त्वरित ध्यान अत्यधिक आवश्यक है।

यदि जानकारी आपके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो कृपया आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार संबन्धित विभाग को अग्रेषित करें।

इस संबंध में मैं पोस्टल ऑर्डर/डी.डी. प्रस्तुत कर रहा हूं। रु.10/- paid online.

कृपया मुझे उपरोक्त उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज़ प्रदान करें। मैं उपरोक्त जानकारी/दस्तावेजों के लिए आवश्यक अतिरिक्त शुल्क देने के लिए सहमत हूं। मैं भारत का नागरिक हूं और पता नीचे दिया गया है।

धन्यवाद।

भवदीय

प्रतिलिपि: **सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए –**

1) **प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग (Ministry of Finance And Department of Expenditure),उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001**
2) **केंद्रीय सूचना आयुक्त, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग मुनिरका, नई दिल्ली - 110 067**

भवदीय

तारीख: 12-07-2025